न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–51/2018 रे0वाद
अर्न्तगत धाराः– 53 आर0टी0एक्ट

अनवान

1. रामा आत्मज चतरा गाडरी निवासी काला का खेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज दीपा गाडरी
2. राधा पुत्री दीपा गाडरी
3. मुली पुत्री दीपा गाडरी
4. कालु आत्मज नारू गाडरी
5. अमरचन्द आत्मज चतरा गाडरी

सर्व निवासी काला का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 01.10.2019

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काला का खेड़ा पटवार हल्का गोवलिया तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 131 में अंकित आराजी संख्या 123 रकबा 0.01 हे0, 124 रकबा 0.33 हे0, 125 रकबा 0.35 हे0, 126 रकबा 0.41, 189 रकबा 0.35 हे0, 192 रकबा 0.19 हे0, 193 रकबा 0.26 हे0, 194 रकबा 0.25 हे0, 195 रकबा 0.25 हे0, 220 रकबा 0.12 हे0, 221 रकबा 0.07 हे0 नहर, 231 रकबा 0.13 हे0, 237 रकबा 0.05 हे0, 238 रकबा 0.20 हे0, 241 रकबा 0.15 हे0, 245 रकबा 0.03 हे0, 246 रकबा 0.06 हे0, 493 रकबा 0.09 हे0, कुल किता 18 रकबा 3.30 में वादी का हिस्सा 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन का संयुक्त रूप से निहित है तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या चार का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या पांच का निहित है। भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 संयुक्त खोतदारी से दर्ज रिकार्ड है अतः वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत पांच मौके पर हिस्सा अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अडचन आती है के हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 ने आपसी राजीनामे से हिस्सा एवं कब्जे अनुसार विभाजन [illegible] दिये प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त [illegible] पाया जाकर वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया आदेश तहसीलदार [illegible] विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को बार– बार आवाजे दिलवाई गई अनुपस्थित अतः एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये । वादी अधिवक्ता को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या :—51/2018 रे0 वाद
अन्तर्गत धारा :—**53 आर.टी.एक्ट**

—:आदेश:—

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. रामलाल पिता चतरा गाडरी सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
125/2	0.13
126/1	0.14
189/2	0.09
192	0.19
193/2	0.0250
194/2	0.0150
241	0.15
246	0.06
493/1	0.02
कुल किता 9	**कुल 0.8200 हे0**

2. मांगीलाल राधा मूली पि0 दीपा कालू पि0 नारू अमरचन्द पि0 चतरो गाडरी सा0देह खातेदार रहनः— बी0ओ0बी0 शाखा सहाड़ा हि0 कालु पर

आ0नं0	रकबा
124	0.33
125/1	0.22
126/2	0.27
189/1	0.09
189/3	0.17
193/1	0.2350
194/1	0.2350
195	0.25
220	0.12
221	0.07
231	0.13
237	0.05
238	0.20
245	0.03
493/2	0.07
कुल किता 15	**कुल 2.4700 हे0**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

3. शामलात बदस्तुर रहन यथावत

आ0नं0	रकबा
123	0.01
कुल किता 01	0.01

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकने अपना–अपना वहन करे। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:49:05 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–51 / 2018 रे0वाद
अन्तर्गत धाराः– 53 आर0टी0एक्ट

अनवान

1. रामा आत्मज चतरा गाडरी निवासी काला का खेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज दीपा गाडरी
2. राधा पुत्री दीपा गाडरी
3. मुली पुत्री दीपा गाडरी
4. कालु आत्मज नारू गाडरी
5. अमरचन्द आत्मज चतरा गाडरी
   सर्व निवासी काला का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

कृषि भूमि के विभाजन हेतु वाद अन्तर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 01.10.2019

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 01.10.2019 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया ज़ाता है।

1. रामलाल पिता चतरा गाडरी सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
125 / 2	0.13
126 / 1	[illegible]
189 / 2	[illegible]
192	0.19
193 / 2	[illegible]
194 / 2	0.0[illegible]
241	0.15
246	0.06
493 / 1	0.02
कुल किता 9	कुल 0.8200 हे0

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:49:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) (राज.)
गंगापुर जिला भीलवाडा

2. मांगीलाल राधा मूली पि0 दीपा कालू पि0 नारू अमरचन्द पि0 चतरो गाडरी सा0देह खातेदार रहनः– बी0ओ0बी0 शाखा सहाड़ा हि0 कालु पर

आ0नं0	रकबा
124	0.33
125/1	0.22
126/2	0.27
189/1	0.09
189/3	0.17
193/1	0.2350
194/1	0.2350
195	0.25
220	0.12
221	0.07
231	0.13
237	0.05
238	0.20
245	0.03
493/2	0.07
कुल किता 15	कुल 2.4700 हे0

3. **शामलात बदस्तुर रहन यथावत**

आ0नं0	रकबा
123	0.01
कुल किता 01	0.01

अतः उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:49:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री आज दिनांक 01.10.20[illegible] न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

2.